झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 871 / 2024

---

1. महेंद्र प्रसाद उर्फ महेंद्र प्रसाद, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता-स्वर्गीय अंबिका प्रसाद;
2. चंदन प्रसाद उर्फ चंदन कुमार प्रसाद, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता- महेंद्र प्रसाद @ महेंद्र प्रसाद;

दोनों ग्राम;- न्यू बवाला बस्ती, सोनारी, डाक घर और थाना - सोनारी, टाउन- जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम .....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री रोहन मजूमदार,
राज्य के लिए: श्री सतीश प्रसाद, अतिरिक्त पीपी

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वाराः दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि सोनारी आरोप-पत्र संख्या.145/2023 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.01.2024 को रद्द कर दिया जाए, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उक्त मामले के आरोपी हैं। 27.01.2024 को, मामले के जांच अधिकारी ने *अन्य बातों के साथ-साथ* दो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सोनारी आरोप-पत्र संख्या.145/2023 के संबंध में आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष उद्घोषणा जारी करने के लिए याचिका दायर की। जांच अधिकारी ने 18.12.2023 को पहले जारी गिरफ्तारी वारंट की निष्पादन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक सामग्री पेश की कि याचिकाकर्ता फरार हैं और अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पांच अलग-अलग तारीखों पर, जिनका उल्लेख दिनांक 27.01.2024 के आदेश में किया गया है, और केस-डायरी में भी, पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए घर पर छापा मारा, लेकिन वे फरार पाए गए। रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों से, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता फरार हैं या खुद से बच रहे हैं ताकि गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित न किया जा सके और याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति के लिए समय और स्थान के रूप में अदालत के कामकाजी घंटे के दौरान 01.03.2024 की तारीख तय की।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप झूठे हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम जमानत सं 10627/2023 दायर किया जो अभी भी लंबित है और उक्त अग्रिम जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है।

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सोनारी आरोप-पत्र संख्या.145/2023 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2024 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया है, को रद्द किया जाए और अलग रख दिया जाए।

5. विद्वान अतिरिक्त पी.पी. राज्य की ओर से उपस्थित होकर सोनारी आरोप-पत्र संख्या.145/2023 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2024 को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आपराधिक विविध याचिका संख्या 871/2024 उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया है और प्रस्तुत किया है कि पारित आदेश दिनांक 27.01.2024 में कोई अवैधता नहीं है सोनारी आरोप-पत्र संख्या.145/2023 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करने को मुकदमे में उपस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से जाने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि **श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया है और **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 282** में एक अन्य रिपोर्ट की गई है कि एक वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत दाखिल नहीं करेगा और *अन्य बातों के साथ-साथ* विचारण न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति की उपस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

7. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर -प्रथम श्रेणी, ने अपने समक्ष सामग्री पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता खुद को छिपाकर और फरार होकर अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे और संतुष्ट होने पर, इसने आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की, जिसमें मामले के आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए समय और स्थान तय किया गया था।

8. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को सोनारी आरोप-पत्र संख्या.145/2023 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2024 में कोई अवैधता नहीं मिलती है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 3 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया है।

9. तदनुसार, इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
22 मार्च, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।